International Journal of Literacy and Education

E-ISSN: 2789-1615
P-ISSN: 2789-1607
Impact Factor: 5.69
IJLE 2023; 3(2): 25-28
www.educationjournal.info
Received: 13-05-2023
Accepted: 18-06-2023

सूरज कुमार पनिका
शोध छात्र, शिक्षा विभाग, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंसेस, सिहोर, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. संतोष जगवानी
प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंसेस, सिहोर, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
सूरज कुमार पनिका
शोध छात्र, शिक्षा विभाग, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मेडिकल साइंसेस, सिहोर, मध्य प्रदेश, भारत

सीधी जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के नामांकन दर का तुलनात्मक अध्ययन

सूरज कुमार पनिका, डॉ. संतोष जगवानी

सारांश
इस शोध पत्र के द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के नामांकन दर का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। शोध क्षेत्र के प्रत्येक विकासखण्ड से न्यादर्श के रूप में चयनित सीधी जिले के सभी विकासखण्डों से 8–8 विद्यालय कुल 40 विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया किया गया है। सत्र 2019–20 में 0.22, सत्र 2020–21 में 2.43, सत्र 2021–22 में 3.25 एवं सत्र 2022–23 में 4.26 वृद्धि दर में अंतर है। शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के नामांकन दर का औसत वृद्धि दर 22.25 प्रतिशत तथा शहरी विद्यालयों के नामांकन में औसत वृद्धि दर 25.07 प्रतिशत रही है।

कूट शब्दः सीधी जिला, प्रारंभिक शिक्षा स्तर, विद्यार्थी, अप्रवेशी दर, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र

1. प्रस्तावना
शिक्षा के क्षेत्र में असमानतायें पाई जाना एक सामान्य सी बात है। विशेषकर विकासशील देशों में सुविधाओं का असमान वितरण देखने में आता है। यह शिक्षा सुविधायें न केवल गुणवत्ता के मत से असमान है बल्कि शिक्षा की पहुंच के हिसाब से भी असमान पाई जाती है। आमतौर पर यह पाया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधायें शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार–प्रसार भी कम ही हो पाता है।

भारत के मध्य में स्थित राज्य मध्यप्रदेश अनेक विविधताओं से परिपूर्ण है, यहां पायी जाने वाली विविधताओं के अनुरूप सामाजिक, सांस्कृतिक विषमताओं का विकास हुआ मिलता है। मध्यप्रदेश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सामाजिक और आर्थिक विकास द्रुतगति से हुआ है, किंतु कुछ जिले ऐसे हैं जहां विकास की गतिविधि मंद रही है। इन क्षेत्रों का विकास संतोषजनक नहीं हो सका है। यहां पर निवास करने वाले लोगों की बोली, भाषा, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक पद्धति, रीति–रिवाज, सामाजिक एवं धार्मिक विश्वास एवं मान्यताएं, आचार–विचार आदि में प्रचुर विभिन्नताएं पायी जाती है। इन विविधताओं के बीच प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या के शासन स्तर पर जनगणना विभाग द्वारा सम्पूर्ण देश की आबादी को तीन वर्गों में, जातियों में जैसे–सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। उक्त तीन संवर्गों में सामान्य वर्ग के लोग सबसे अधिक विकसित, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से सम्पन्न, अनुसूचित जाति संवर्ग के लोग भी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से जागरूक पाये गये हैं किंतु अनुसूचित जनजाति समुदाय के कुछ जनजातियों को छोड़कर शेष अधिकांश जनजातियां शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई अवस्था में हैं, प्रदेश की अधिकांश जनजातियां पहाड़ी क्षेत्रों, अनुपजाऊ ऊबड़–खाबड़ भूमियों जो पहुंच में दुरूह, भौतिक धरातलीय संरचना की दृष्टिकोण से मानव के आवागमन के लिए असुविधा और अपनी सांस्कृतिक विरासत को अलग पहचान बनाये हुए हैं। भारत की वर्ष 2011 के जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों की समीक्षाओं से ज्ञात हुआ है कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्षेत्र की कुल जनसंख्या में 8.3 प्रतिशत भाग शामिल हैं, इसी प्रकार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 21.10 प्रतिशत पायी जाती है, जबकि अध्ययन क्षेत्र सीधी जिले में कुल जनसंख्या में अनसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 30 है। अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत देश एवं प्रदेश की तुलना में काफी अधिक है। सीधी जिला अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र अन्तर्गत आता है। यहां पर अनेक प्रकार की अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। ये लोग सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़े हुए हैं, इनके पिछड़ेपन का प्रमुख कारण सामाजिक एवं धामिक परम्परा, अंधविश्वास, शिक्षा की कमी, न्यून साक्षरता दर, आलस्य, धर्म के प्रति अटूट विश्वास, जागरूकता का अभाव आदि प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। जिले में विभिन्न प्रकार की जनजातियों का वितरण एवं संकेन्द्रण पाया जाता है,

इनके भिन्न–भिन्न गोत्र, परम्परागत व्यवसाय के तौर तरीके, रीति–रिवाज, खान–पान का स्वरूप, वेशभूषा, सामाजिक परम्पराएँ शादी–विवाह की प्रथा, संस्कार, उत्सव त्यौहार आदि सामाजिक एवं सांस्कृति गतिविधियों में काफी असमानताएँ हैं। सीधी जिले में प्रमुख रूप से गोड़, बैगा, अगरिया, खैरवार, पनिका, कोल आदि जनजातियों का वितरण सभी विकास खण्डों में पाया जाता है। जिले की अनुसूचित जनजातियों के समाज का स्वरूप एकाकी परिवार ज्ञातव्य है।

2. अध्ययन की आवश्यकता

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य न केवल सीधी जिले वरन् सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के ग्रामीण व शहरी प्रारंभिक शिक्षा स्तर में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के नामांकन दर का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकेगा तथा ऐसे सुझाव शोध कार्य के उपरान्त दिये जा सकेंगे जिनका प्रयोग कर राज्य सरकार प्रारंभिक शिक्षा स्तर अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के लिए योजना के क्रियान्वयन को प्रभावी ढंग से विकसित करने से नामांकन दर पर सार्थक प्रभाव पड़ेगा। रीवा संभाग का सीधी जिला आदिवासी प्रधान जिला है, जो शैक्षिक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत पिछड़ा जिला है। विशेषकर बालिकाओं में शैक्षिक स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा की सफलता के लिए किये जा रहे सभी प्रयासो तथा उक्त सम्बर्ग के बालिका शिक्षा के समग्र विकास के लिए वास्तविक स्थिति का अध्ययन तथा उसमें वांछित सुधार हेतु सुझाव देने के लिए शैक्षिक शोध करने की आवश्यकता है।

3. उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान मे रखकर किया गया है:–

1. शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के नामांकन दर का अध्ययन करना।
2. शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बालिकाओं के नामांकन दर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4. शोध की परिकल्पनाएँ

परिकल्पना शोध समस्या एवं समस्या समाधान के बीच की कड़ी है। परिकल्पनाा से तात्पर्य है कि किसी भी समस्या के हल के बारे में पूर्वानुमान लगाना। परिकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार है, जो किसी सामान्य के संबंध में बना लिया जाता है और जिसकी सार्थकता की परीक्षा के लिए आवश्यक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी का पूर्वानुमान परिकल्पनाओं के रूप में निम्नवत् है:–

1. शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के नामांकन दर में वृद्धि हो रही है।
2. शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बालिकाओं के नामांकन दर में कोई सार्थक अन्तर नही है।

5. शोध समस्या का सीमांकन

प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र जिला सीधी है। इसके अन्तर्गत 5 विकासखण्ड – सीधी, सिहावल, कुसमी, मझौली एवं रामपुर नैकिन है। अतः जिला अन्तर्गत स्थित अतः जिला अन्तर्गत स्थित प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के नामांकन दर का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। सीधी जिला का क्षेत्र व्यापक है, जिस कारण सभी प्रारंभिक स्तर के विद्यालयों का अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए जिले के सभी विकासखण्डों से 8–8 विद्यालय कुल 40 विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन द्वारा अध्ययन हेतु किया गया है।

6. शोध विधियाँ

शोध कार्य को संपूर्णता प्रदान करने हेतु कई प्रकार की शोध विधियों का उपयोग किया जाता है। शोध विधियों के मुख्य प्रकार ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं प्रयोगात्मक है। शोध कार्य के अनुरूप प्रत्येक शोध विधि की अपनी विशेषताएँ एवं उपयोगिता है। शैक्षिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रस्तुत शोध कार्य मुख्य रूप से सर्वेक्षणात्मक (वर्णनात्मक) होगा। शोध अध्ययन में निम्नलिखित विधियों एवं उपकरणों का उपयोग किया गया है –

6.1 सर्वेक्षण विधि – प्राथमिक स्त्रोतों से प्रदत्तों के संकलन एवं पूर्व संचालित प्रदत्तो के सत्यापन हेतु शोध क्षेत्र के प्रारंभिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया है।

6.2 सांख्यिकी विधि – प्रयुक्त शोध उपकरणों से प्राप्त प्रदत्तों के सारणीयन के उपरान्त आवश्यकतानुसार माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, दो चरों में सार्थक अन्तर के आंकलन हेतु मध्यमान विचलन, टी–परीक्षण जैसी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है।

शोध उपकरण

आंकड़े प्राप्त करने हेतु शाला अभिलेख अवलोकन पत्रक का प्रयोग किया गया है।

7. न्यादर्श चयन

अनुसंधान तथा शोध के प्रयोग का प्रारूप न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है। एक उत्तम प्रकार के शोध कार्य में न्यादर्श तथा उसकी जनसंख्या संबंधी समस्त सूचनाओं को दिया जाता है। शोध कार्य को सार्थक करने के लिए न्यादर्श का चयन किया जाता है। न्यादर्श के रूप में चयनित सीधी जिले के सभी विकासखण्डों से 8–8 विद्यालय कुल 40 विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया किया गया है। प्रत्येक विद्यालय से अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के नामांकन दर का अध्ययन करने के लिए शाला अभिलेख पत्रक के माध्यम से सत्र 2017–18 से 2021–2022 अर्थात 05 वर्षो की स्थिति ज्ञात की गयी है। इस प्रकार यह अध्ययन दोनों दृष्टियों से सैद्धान्तिक एवं अनुभवाश्रित परिपूर्ण होगा।

8. पूर्ववर्ती शोध अध्ययनों का विवरण

किसी भी शोध कार्य को सोद्देश्य तथा अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि शोधार्थी अपनी शोध समस्या के समरूप पूर्व में किए गये अन्य शोध कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। इसी दृष्टिकोण से शोधार्थी ने ग्रामीण व शहरी प्रारंभिक शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों की अप्रवेशी दर का तुलनात्मक अध्ययन पर किये गये कुछ प्रमुख तथा सहज रूप से उपलब्ध पूर्व शोध अध्ययनों के विषय–वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। संक्षेप में उनका विवरण निम्न है – अग्रवाल, आर. एवं अरीना, विपिन (1989)[1], कपिल, एच.के. (1996)[2], खुल्लर, के.के. (1988)[3], कौल, लोकेश (1998)[4], तिवारी, डॉ.(श्रीमती) रंजना (2016)[5], पाठक, पी.डी. (1998)[6], सिंह, सोना एवं डॉ. जय सिंह (2019)[7] एवं चतुर्वेदी, दीपा एवं तिवारी, डॉ. (श्रीमती) रंजना (2023)[8]।

9. शोध क्षेत्र का परिचय

सीधी जिला म.प्र. की राजधानी भोपाल से उत्तर पूर्वी दिशा में सड़क मार्ग से 635 किलो मीटर दूर है तथा रीवा संभाग के मुख्यालय से दक्षिण पूर्व में 80 किलोमीटर पर जिला मुख्यालय स्थित है। जिला सीधी मूलतः पठारी व पर्वतीय प्रदेश है इसका

विस्तार 23°47′ से 24°42′ उत्तरी अक्षांश तथा 81°18′ से 82°49′ पूर्वी देशान्तर के मध्य में स्थित है।
जिला सीधी मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। यह प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिला, दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य का कोरिया जिला पश्चिम में शहडोल तथा सतना जिला एवं उत्तर में रीवा जिला स्थित है। जिले की समुद्र तल से निम्नतम ऊँचाई 243.84 मी. तथा उच्चतम ऊँचाई 609.60 मी. है। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 10526 वर्ग कि.मी. है। यह जिला पूर्व से पश्चिम 155 कि.मी. तथा उत्तर से दक्षिण 95 कि.मी. फैला हुआ है। क्षेत्रीयता की दृष्टि से यह जिला भारत के कुल भू–भाग का 0.37 प्रतिशत है।

10. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

परिकल्पना क्र. – 1 : "शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के नामांकन दर में वृद्धि हो रही है।"

सारणी 1: शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के नामांकन दर का अध्ययन (शाला अभिलेख पत्रक के आधार पर)

क्र.	सत्र	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकित बालिकाओं की संख्या A	नवीन नामांकित बालिकाओं की संख्या B	प्रतिशत	वृद्धि दर = A-B	प्रतिशत	वृद्धि दर अंतर
1.	2018-19	40	1382	209	15.12	1173	17.82	-
2.	2019-20	40	1535	249	16.22	1286	19.36	1.54
3.	2020-21	40	1626	299	18.39	1327	22.53	3.17
4.	2021-22	40	1698	358	21.08	1340	26.72	4.18
5.	2022-23	40	1776	429	24.16	1347	31.85	5.13

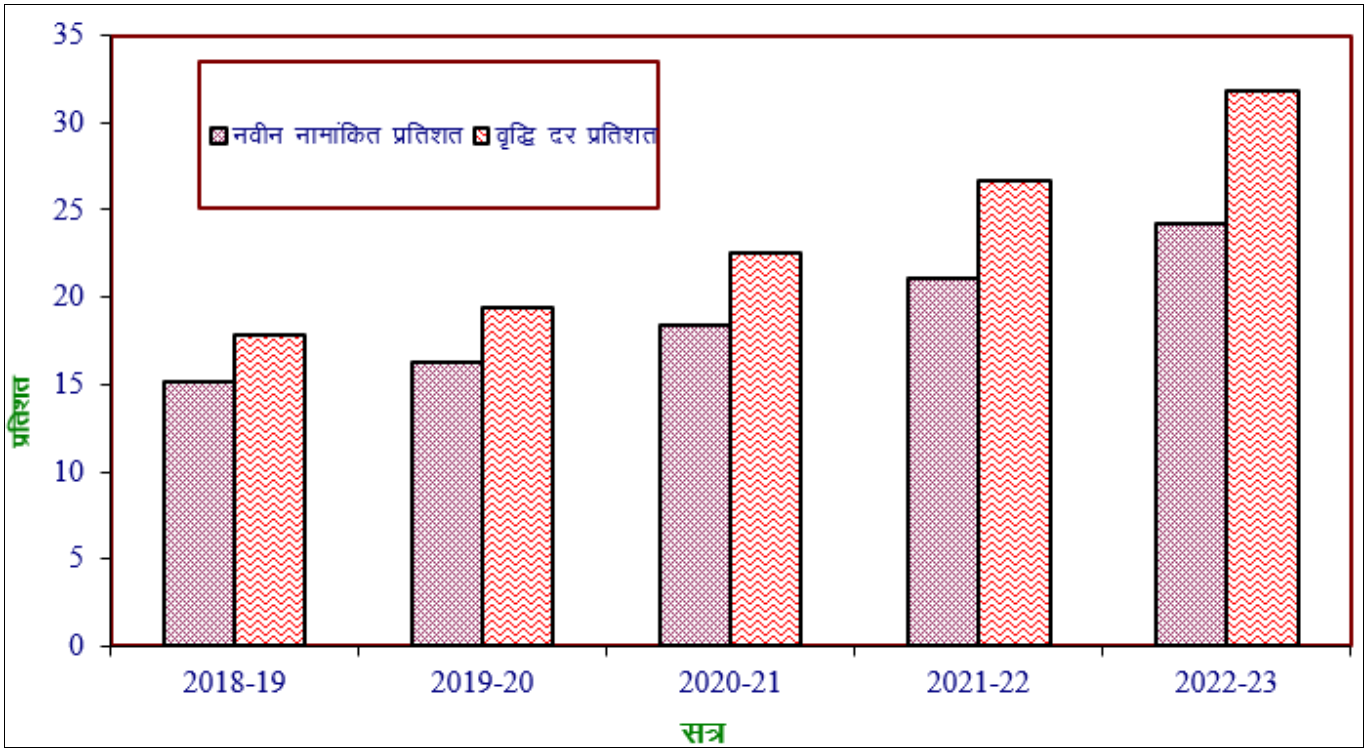

आरेख 1: शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के नामांकन दर का अध्ययन (शाला अभिलेख पत्रक के आधार पर)

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त सारणी एवं आरेख क्रमांक – 1 से स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के नामांकन दर सत्र 2018–19 में 17.82 प्रतिशत, सत्र 2019–20 में 19.36 प्रतिशत, सत्र 2020–21 में 22.53 प्रतिशत, सत्र 2021–22 में 26. 72 प्रतिशत एवं सत्र 2022–23 में 31.85 प्रतिशत वृद्धि हुयी है। सत्र 2019–20 में 1.54, सत्र 2020–21 में 3.17, सत्र 2021–22 में 4.18, सत्र 2022–23 में 5.13 वृद्धि दर में अंतर है। अतः स्पष्ट होता है कि सत्र 2018–19 से 2022–23 के परिणामस्वरूप शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं के नामांकन दर में सतत् वृद्धि हो रही है। अतः परिकल्पना क्र. 1 सत्यापित होती है।

परिकल्पना क्र. – 2 : "शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बालिकाओं के नामांकन दर में कोई सार्थक अन्तर नही है।"

सारणी 2: शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के नामांकन दर का अध्ययन (शाला अभिलेख पत्रक के आधार पर)

क्र.	सत्र	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकित बालिकाओं की संख्या A	नवीन नामांकित बालिकाओं की संख्या B	प्रतिशत	वृद्धि दर = A-B	प्रतिशत	वृद्धि दर अंतर
1.	2018-19	20	546	84	15.38	462	18.18	-
2.	2019-20	20	650	101	15.54	549	18.40	0.22
3.	2020-21	20	702	121	17.24	581	20.83	2.43
4.	2021-22	20	742	144	19.41	598	24.08	3.25
5.	2022-23	20	788	174	22.08	614	28.34	4.26
	योग	100	3428	624	18.20	2804	22.25	-

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त सारणी क्रमांक – 2 से स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के नामांकन दर में सत्र 2018–19 में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि दर 18.18 प्रतिशत, सत्र 2019–20 में 18.40 प्रतिशत, सत्र 2020–21 में 20.83 प्रतिशत, सत्र 2021–22 में 24.08 प्रतिशत एवं सत्र 2022–23 में 28.34 प्रतिशत वृद्धि हुयी है।

सत्र 2019–20 में 0.22, सत्र 2020–21 में 2.43, सत्र 2021–22 में 3.25 एवं सत्र 2022–23 में 4.26 वृद्धि दर में अंतर है।

सारणी 3 : शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के शहरी क्षेत्रों में बालिकाओं के नामांकन दर का अध्ययन (शाला अभिलेख पत्रक के आधार पर)

क्र.	सत्र	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	कुल नामांकित बालिकाओं की संख्या A	नवीन नामांकित बालिकाओं की संख्या B	प्रतिशत	वृद्धि दर = A-B	प्रतिशत	वृद्धि दर अंतर
1.	2018-19	20	836	125	14.95	711	17.58	-
2.	2019-20	20	885	148	16.72	737	20.08	2.50
3.	2020-21	20	924	178	19.26	746	23.86	3.78
4.	2021-22	20	956	214	22.38	742	28.84	4.98
5.	2022-23	20	988	255	25.81	733	34.79	5.95
	;ksx	100	4589	920	20.05	3669	25.07	-

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त सारणी क्रमांक – 3 से स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के शहरी क्षेत्रों में बालिकाओं के नामांकन दर में सत्र 2018–19 में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि दर 17.58 प्रतिशत, सत्र 2019–20 में 20.08 प्रतिशत, सत्र 2020–21 में 23.86 प्रतिशत, सत्र 2021–22 में 28.84 प्रतिशत एवं सत्र 2022–23 में 34.79 प्रतिशत वृद्धि हुयी है।

सत्र 2019–20 में 2.50, सत्र 2020–21 में 3.78, सत्र 2021–22 में 4.98 एवं सत्र 2022–23 में 5.98 वृद्धि दर में अंतर है।

उपरोक्त दोनों तालिकाओं (सारणी क्रमांक–2 एवं 3) के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है, कि शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के नामांकन दर का औसत वृद्धि दर 22.25 प्रतिशत तथा शहरी विद्यालयों के नामांकन में औसत वृद्धि दर 25.07 प्रतिशत रही है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है, कि शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बालिकाओं के नामांकन दर में सार्थक अन्तर है। अतः परिकल्पना क्र. 2 सत्यापित हो रही है।

निष्कर्ष

अनुसंधान के परिणामों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि सत्र 2019–20 में 0.22, सत्र 2020–21 में 2.43, सत्र 2021–22 में 3.25 एवं सत्र 2022–23 में 4.26 वृद्धि दर में अंतर है। शोध क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बालिकाओं के नामांकन दर में सार्थक अन्तर है।

संदर्भ

1. अग्रवाल, आर. एवं अरीना, विपिन (1989) : मनोविज्ञान एवं शिक्षा में मापन व मूल्यांकन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा.
2. कपिल, एच.के. (1996) : सांख्यिकी के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा.
3. खुल्लर, के.के. (1988) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई दिल्ली विज्ञापन एवं दृश्य प्रसार निर्देशालय.
4. कौल, लोकेश (1998) : शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिसिंग हाउस प्रा.लि. नई दिल्ली.
5. तिवारी, डॉ.(श्रीमती) रंजना (2016) : "रीवा जिले के गंगेव विकासखण्ड में हाई स्कूल में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बालिकाओं में संचार साधनों के प्रचार–प्रसार द्वारा शिक्षा के प्रति चेतना जागृत का विश्लेषणात्मक अध्ययन" Research Expo International Multidisciplinary Research Journal, Vol. VI Issue I, Jan. 2016, page 69-77.
6. पाठक, पी.डी. (1998) : भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.
7. सिंह, सोना एवं डॉ. जय सिंह (2019) : "अनूपपुर जिले में प्रारंभिक शिक्षा स्तर अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन", International Journal of Advanced Research and Development, Volume 4; Issue 2; March 2019; Page No. 63-65.
8. चतुर्वेदी, दीपा एवं तिवारी, डॉ.(श्रीमती) रंजना (2023) – "ग्रामीण व शहरी प्रारंभिक शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों की अप्रवेशी दर का तुलनात्मक अध्ययन", International Journal of Advanced Academic Studies; 5(4): 41-44.